शोध मंथन Vol. XIII No.I Jan.-Mar.2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

# कार्यरत विवाहित महिलाओं की समस्याएँ : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्राप्तिः 15.02.2022
स्वीकृतः 17.03.2022

**स्वाति सक्सेना**
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स कॉलेज
मुरादाबाद
ईमेलः *saxenatax@gmail.com*

***सारांश***

*वर्तमान समय में महिलाएँ शिक्षित होकर पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में अपने हुनर एवं योग्यता का परिचय दे रही हैं। पूर्व समय की बात करें तो न तो महिलाओं को इतनी अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी और न ही अधिकार। पहले महिलाओं का घर से बाहर निकलकर नौकरी करना भी सम्मानजनक नहीं समझा जाता था, परन्तु अब परिवर्तित पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं की स्थिति में भी बहुत बदलाव आ गया है। आज महिलाएं उच्च शिक्षित होकर आत्मनिर्भर होने के साथ ही साथ अपने परिवार को आर्थिक सुदष्ढ़ता भी प्रदान कर रही है, परन्तु घर और कार्यालय दोनों जगह की जिम्मेदारियों को निभाने के कारण कार्यरत विवाहित महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से कार्यरत महिलाओं को दोहरी भूमिका निभाने के कारण होने वाली समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है।*

## भूमिका

हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएँ है। वर्तमान में महिलाएँ शिक्षित होने के कारण लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत हैं और सफलतापूर्वक घर और कार्यालय के उत्तरदायित्वों को निभा रही हैं। कार्यरत महिला से अभिप्राय उन महिलाओं से है, जो नियमित रूप से घर से बाहर निकलकर आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों में स्वयं को व्यस्त रखती हैं और वेतन पाती हैं। वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन के कारण महिलाओं की परम्परागत भूमिकाओं में बहुत लचीलापन देखा जा रहा है। आज महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर कार्य करके न केवल रूढ़िगत मिथकों को ही तोड़ा है अपितु परिवार के आय अर्जन में सहयोग करके नई भूमिका के रूप में एक जिम्मेदारी भी अपने कन्धों पर ले ली है, परन्तु पूर्व समय की बात करें तो महिलाओं का घर से बाहर निकलकर कार्य करना सम्मानजनक नहीं समझा जाता था और कार्यरत महिलाओं को ताने व अपशब्द भी सुनने पड़ते थे।

निर्विवादित सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलते हुए राजनैतिक परिवेश ने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं पारिवारिक क्षेत्रों के साथ ही साथ महिलाओं को भी प्रभावित किया। माना जाता है कि महिलाओं को सर्वप्रथम कुछ स्वतन्त्रता ब्रिटिश शासनकाल में प्राप्त हुई क्योंकि ब्रिटिश सामाजिक जीवन में महिलाओं का सम्मान किया जाता था।[1] जहाँ पूर्व में महिलाएं केवल घर के कार्य ही किया करती थीं और उनका घर से बाहर कार्य करना अच्छा नहीं समझा जाता

था वहीं वर्तमान में महिलाओं के वेतन से घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण के फलस्वरूप व्यक्ति के रहन–सहन के स्तर व विचारों में परिवर्तन के साथ ही उसकी आवश्यकताएं भी दिन–प्रतिदिन बढ़ने लगी। इसी कारण धीरे–धीरे महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण एवं उनकी सामाजिक तथा पारिवारिक स्थिति भी परिवर्तित होती गयी।

वर्तमान में महिलाओं को पुरूषों की धरोधर न समझकर उनके समकक्ष समझा जाता है। अब महिलाओं को न तो बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है और न ही घर की दासी। अब महिलाओं ने अपनी बौद्धिक कुशलता के कारण एक नई सामाजिक पहचान प्राप्त कर ली है।[2] अब विवाहित मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं का घर से बाहर निकलकर नौकरी करना अनुचित नही माना जाता है क्योंकि मध्यमवर्ग की आर्थिक समस्याओं को सब भली–भांति समझते हैं और परिवार के रहन–सहन के स्तर को बनाये रखने के लिए प्रायः घर की बहुओं का भी नौकरी करना आवश्यक हो जाता है।''[3] आज पुरानी पीढ़ी के लोग भी यही चाहते हैं कि उनके परिवार में पढ़ी–लिखी बहुऍं आयें, जो परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सहयोग कर सकें।[4] अब भारतीय समाज में महिलाओं के विषय में प्रचलित पूर्व मान्यताएं धीरे–धीरे परिवर्तित हो रही हैं और इसके पार्श्व में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बढ़ती हुई भौगोलिक तथा व्यावसायिक गतिशीलता के साथ ही नवीन आर्थिक ढ़ाँचों के उदय होने की प्रवृत्ति है।[5]

भारत में महिलाओं के कार्यरत होने का इतिहास बहुत अधिक पुरातन नहीं है जहॉ पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रान्ति के बाद महिलाओं के कार्यरत होने की प्रकिया में तीव्रता आयी वहीं भारत में यह प्रक्रिया कुछ देर से प्रारम्भ हुई। कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि होने का मुख्य कारण बढ़ती हुई आर्थिक आवश्यकताऍं एवं उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा को माना जाता है। कुछ समय पूर्व तक केवल वही महिलाएं नौकरी करती थीं जिन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, परन्तु विगत कुछ वर्षों से वह महिलाएं भी काम कर रही हैं, जो उपयोगी सामाजिक जीवन जीना चाहती हैं। पूर्व में महिलाएं काम अपनी पसन्द व रूचि का न होने के कारण तथा सामाजिक निन्दा के फलस्वरूप कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं हो पाती थीं क्योंकि जब व्यक्ति की रूचि उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य में होती है तभी वह पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य को कर पाता है[6], परन्तु अब परिस्थितियॉ पूर्ववत् नहीं रह गयी हैं। वर्तमान में महिलाओं ने अपनी लगन, इच्छाशक्ति एवं परिश्रमशीलता से यह सिद्ध कर दिया है कि वह किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कमतर नहीं हैं। महिलाएं धीरे–धीरे यह अनुभव करने लगी हैं कि व्यक्ति के रूप में उनका भी एक निजी एवं स्वतन्त्र अस्तित्व है। उनके जीवन का लक्ष्य मात्र अच्छी पत्नी व माँ बनने से पूरा नहीं होता है और वह भी समाज की एक सक्रिय सदस्य है।[7]

कहना न होगा विवाहित कार्यरत महिलाओं के समक्ष दोहरी जिम्मेदारियों को निभाने की चुनौती होती है। कार्यरत विवाहित महिला को पत्नी, बहु, एवं मॉ के कर्त्तव्यों के साथ ही कार्यालय के दायित्वों को भी निभाना पड़ता है और इन भूमिकाओं को योग्यता के साथ निर्वहन में महिलाओं की सक्षमता एवं कुशलता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विवाहित जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि एक साथी की भूमिका निर्वहन दूसरे साथी की भूमिका अपेक्षाओं के कितना अनुकूल है।[8] विविध भूमिकाओं के निर्वहन में कार्यरत महिलाओं को सामंजस्य की समस्या का सामना करना पड़ता है जिसका प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों के कार्यों पर भी पडता है।

फलस्वरूप कार्यरत महिलाओं की व्यक्तिगत परेशानियॉ भी बढ़ जाती हैं। कार्यरत महिलाओं को दोहरी भूमिका निभाने के कारण होने वाली समस्याओं को ज्ञात करने का प्रयास प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से किया है ।

**साहित्य समीक्षा**

साहित्य को उस आधारशिला के समान माना जाता है जिस पर भावी शोधकार्य निर्भर होता है। साहित्यक पुनरावलोकन से शोधकार्य बहुत आसान हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य में **अंजुला राजवंशी** ने मेरठ शहर के पब्लिक स्कूलों में कार्यरत बीस शिक्षिकाओं पर किये गये अपने अध्ययन के निष्कर्षों में पाया कि महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देने के लिए ही कार्य करती हैं, परन्तु उन्हें काम का तनाव बहुत रहता है और वेतन भी काम के अनुरूप प्राप्त नहीं होता है और यदि शिक्षिकाओं द्वारा छुट्टी मांगी जाती है, तो या तो वेतन काट लिया जाता है अथवा नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। इनका मानना है कि यदि पब्लिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाओं को तनाव रहित वातावरण व सीमित बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के अवसर दिये जायें तो देश को अच्छे नागरिक, विद्यालयों को उच्च पद पर प्रतिष्ठित विद्यार्थी तथा अभिभावकों को सद्गुण सम्पन्न बच्चे मिलेंगे।[9]

**वी.पी.राकेश** एवं **विनीता** द्वारा मेरठ शहर के जवाहर नगर क्षेत्र की 25 कार्यरत महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता को ज्ञात करने के उद्देश्य से अध्ययन किया गया। अध्ययन में आपने पाया कि पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में कामकाजी महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता एवं सहभागिता का प्रतिशत तो बढ़ा है, परन्तु अब भी बहुत सी महिलाएं ऐसी है, जो राजनीति के विषय में बहुत अल्प जानकारी रखती हैं। महिलाओं का एक वर्ग अब भी ऐसा है, जो अपने मत का प्रयोग नहीं करता हैं। अतः महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता है।[10]

**रेनू** ने कानपुर शहर में 50 कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक समायोजन सम्बन्धी अपने अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह बताया कि यद्यपि कार्यरत महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं, परन्तु फिर भी कार्यरत महिलाओं को पारिवारिक समायोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह स्थिति सदैव स्थाई नहीं होती है क्योंकि महिलाएं कार्य व परिवार के बीच सामंजस्य बनाने के साथ ही मधुर सम्बन्ध बनाने में अग्रणी होती हैं।[11]

**वर्षा** ने राउरकेला (उड़ीसा) शहर के बैंको, कॉलेजों तथा अस्पतालों में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं और चुनौतियों के अध्ययन के निष्कर्षों में पाया कि अलग–अलग आयु वर्ग, विशेष वर्ग तथा श्रेणी जैसे विवाहित, अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा की महिलाओं की समस्याओं में अन्तर पाया जाता है, परन्तु इसके साथ ही कुछ समान्य समस्याओं, जैसे तनाव, कार्यस्थल पर भेदभाव व परिवार व नौकरी के मध्य संतुलन की समस्या का सामना भी करना पड़ता है।[12]

**रेनू प्रकाश** ने नैनीताल क्षेत्र के शासकीय विभागों में कार्यरत 464 कार्यरत महिलाओं में तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के अध्ययन के निष्कर्षों में पाया कि महिलाओं को अपनी पसन्द के अनुसार कार्य उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिस कारण उनमें सापेक्ष अभाव बोध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोहरी जिम्मेदारी, धार्मिक रीतिरिवाज, स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्याओं से उत्पन्न

तनाव क्रोध के रूप में बाहर निकलता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि समाज ने महिलाओं का स्वतन्त्र रूप से नौकरी करना तो स्वीकार कर लिया है, परन्तु महिला व पुरूष की स्वस्थ मित्रता को स्वीकार नहीं कर पाया है। इस स्थिति से उत्पन्न मानसिक तनाव के कारण कभी–कभी महिलाओं का घरेलू जीवन कष्टमय हो जाता है।[13]

**ऋचा व उदयभान सिंह** ने अपने शोध–पत्र कार्यरत महिलाओं के समक्ष व्यवसाय व गृह का भूमिका द्वंद में रायबरेली शहर की 55 कार्यरत महिलाओं, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत थीं के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह बताया है कि अधिकांश कार्यरत महिलाएं एकाकी परिवारों से सम्बन्धित होती हैं और उन्हें कार्य के घण्टों के अनुकूल वेतन भी प्राप्त नहीं होता है। आज भी पारम्परिक भूमिका में कोई अन्तर नहीं होने के कारण कार्यरत महिलाएं अपनी अपेक्षित भूमिकाओं को निभाने में पूर्णतया सजग रहती हैं साथ ही घरेलू कार्यों में पुरूषों की भागीदारी प्राप्त होने पर महिलाएं परिवार से सामंजस्य स्थापित करने में अधिक सक्षम होती हैं ।[14]

**शोध प्रारूप**

प्रस्तुत आनुभाविक शोध पत्र उ0प्र0 के मुरादाबाद जिले के प्राईवेट संस्थानों, बैंकों, स्वव्यवसाय करने वाली तथा सरकारी विभागों में कार्यरत 40 विवाहित महिलाओं पर आधारित है। सूचनादाताओं का चुनाव सुविधाजनक एवं उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि के माध्यम से किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची को आधार बनाया गया है तथा द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पुस्तकालय साहित्य, विभिन्न पत्र–पत्रिकाएं तथा समाचार–पत्र के साथ ही इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

**अध्ययन के उद्देश्य**

1– कार्यरत विवाहित महिलाओं के नौकरी करने के कारणों को ज्ञात करना।

2– कार्यरत महिलाओं को दोहरी भूमिका निभाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ज्ञात करना।

3– कार्यरत महिलाओं के प्रति परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण ज्ञात करना।

**उपकल्पनाएँ**

1– महिलाएँ परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुदष्ढ़ता प्रदान करने के लिए नौकरी करती हैं।

2– कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल तथा परिवार से सम्बन्धित दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है जिस कारण उन्हें भूमिका द्वंद का सामना करना पड़ता है।

3– समयाभाव के कारण कार्यरत महिलाओं का मातृत्व एवं दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है।

4– परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के कारण कार्यरत महिलाओं को घरेलू महिलाओं की अपेक्षा अपने परिवार के सदस्यों से अधिक सहयोग एवं सम्मान प्राप्त होता है।

**उपलब्धियाँ**

अध्ययन से सम्बन्धित उपकल्पनाओं की जाँच करने हेतु सारणी संख्या–01 में सूचनादाताओं से नौकरी करने के कारणों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

**सारणी संख्या – 01**
**महिलाओं के नौकरी करने के प्रमुख कारण**

| मतभार | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| परिवार को आर्थिक मदद हेतु | 29 | 72.5 |
| प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु | 02 | 5.00 |
| शिक्षा के सदुपयोग हेतु | 09 | 22.5 |
| **योग** | **40** | **100** |

सारणी संख्या–01 के आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि सर्वाधिक सूचनादाता 72.5 प्रतिशत अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए नौकरी (शिक्षिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ट्यूशन पढ़ाना तथा स्वव्यवसाय जैसे ब्यूटीपार्लर, बुटीक) करती हैं। 22.5 प्रतिशत सूचनादाता अपनी शिक्षा के सदुपयोग के लिए तथा केवल 5.00 प्रतिशत सूचनादाता प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए नौकरी करती हैं। सारणी संख्या 01 के निष्कर्षों से अध्ययन की पहली उप्कल्पना ''महिलाएँ परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुदष्ढ़ता प्रदान करने के लिए नौकरी करती हैं,'' की पुष्टि होती हैं।

सारणी संख्या–02 के माध्यम से सूचनादाताओं से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि क्या घरेलू और कार्यस्थल सम्बन्धी भूमिका निर्वहन में सामंजस्य स्थापित करने में उन्हें भूमिका द्वंद का सामना करना पड़ता है अथवा नहीं।

**सारणी संख्या – 02**
**कार्यरत महिलाएँ एवं भूमिका द्वंद**

| मतभार | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हाँ | 34 | 85.00 |
| नहीं | 06 | 15.00 |
| योग | 40 | 100 |

सारणी संख्या 02 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 85.00 प्रतिशत सूचनादाता यह स्वीकार करती हैं कि कार्यरत होने के कारण उन्हें भूमिका द्वंद का सामना करना पड़ता है, जबकि 15.00 प्रतिशत सूचनादाता भूमिका द्वंद की स्थिति को अस्वीकार करती हैं। अधिकांश महिलाओं द्वारा भूमिका द्वंद की स्थिति को स्वीकार करना अध्ययन की दूसरी उप्कल्पना की पुष्टि करता है कि ''कार्यरत महिलाओं को कार्यस्थल तथा परिवार से सम्बन्धित दोहरी भूमिका निभानी पड़ती हैं जिस कारण उन्हें भूमिका द्वंद का सामना करना पड़ता है''।

सारणी संख्या 03 के द्वारा अध्ययन में सम्मिलित सूचनादाताओं से ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि क्या उनके कार्यरत होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है?

**सारणी संख्या – 03**

**कार्यरत महिलाओं का दाम्पत्य जीवन प्रभावित होने का स्तर**

| मतभार | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| पूर्ण रूप से | .... | ..... |
| आंशिक रूप से | 09 | 22.5 |
| कभी नहीं | 31 | 77.5 |
| **योग** | **40** | **100** |

सारणी संख्या 03 के आंकडों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 77.5 प्रतिशत सूचनादाता का कहना है कि कार्यरत होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन प्रभावित नहीं होता है जबकि 22.5 प्रतिशत सूचनादाता मानती हैं कि कार्यरत होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन आंशिक रूप से प्रभावित होता है। पूर्णरूप से दाम्पत्य प्रभावित होने के विकल्प में कोई भी सूचनादाता परिलक्षित नहीं पायी गयी।

सारणी संख्या–04 में सूचनादाताओं के कार्यरत होने के कारण उनके मातृत्व के प्रभावित होने सम्बन्धित आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं।

**सारणी संख्या – 04**

**कार्यरत महिलाएँ एवं मातृत्व पर प्रभाव**

| मतभार | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हां | 33 | 82.5 |
| नहीं | 07 | 17.5 |
| **योग** | **40** | **100** |

सारणी संख्या 04 में प्रस्तुत किये गये आँकडों से स्पष्ट होता है कि 82.5 प्रतिशत सूचनादाता का मातष्त्व कार्यरत होने के कारण प्रभावित होता है क्योंकि वह अपने बच्चों को सही से समय नहीं दे पाती हैं जबकि 17.5 प्रतिशत सूचनादाता का कहना है कि कार्यरत होने के कारण उनके मातृत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारणी संख्या 03 व 04 से अध्ययन की तीसरी उपकल्पना ''समयाभाव के कारण कार्यरत महिलाओं का मातृत्व एवं दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है'' की पूर्णतया पुष्टि नहीं होती क्योंकि अधिकांश महिलाएं यह स्वीकार करती हैं कि कार्यरत होने का उनके दाम्पत्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परन्तु वह यह अवश्य मानती हैं कि इससे उनका मातृत्व प्रभावित होता है।

सारणी संख्या 05 में सूचनादाताओं से यह ज्ञात किया गया है कि क्या परिवार को आर्थिक सहयोग करने के कारण उन्हें घरेलू महिलाओं की तुलना में अपने पारिवारिक सदस्यों से अधिक आदर तथा सम्मान मिलता है अथवा नहीं ।

**सारणी संख्या – 05**

**कार्यरत महिलाओं को पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त होने वाले सम्मान की स्थिति**

| मतभार | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| सदैव | 35 | 87.5 |
| कभी–कभी | 05 | 12.5 |
| कभी नहीं | – | – |
| **योग** | **40** | **100** |

सारणी संख्या 05 के आंकडों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 87.5 प्रतिशत सूचनादाताओं को परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने के कारण घरेलू महिलाओं की तुलना में अपने परिवार वालों से सदैव ही आदर तथा सम्मान प्राप्त होता है जबकि 12.5 प्रतिशत सूचनादाता को कभी–कभी केवल विशेष अवसर (पारिवारिक समारोह, विवाह तथा त्यौहार) पर ही सम्मान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी नहीं विकल्प में कोई भी सूचनादाता परिलक्षित नहीं पायी गयी। अतः आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कार्यरत महिलाओं को अपने पारिवारिक सदस्यों से अधिक सम्मान मिलता है।

शोध का एक उदेद्श्य यह ज्ञात करना भी है कि कार्यरत महिलाओं को अपने परिवार के सदस्यों से घरेलू कार्य में अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होती है अथवा नहीं। सम्बन्धित आंकडों की सारणी संख्या 06 में प्रस्तुत किया गया है।

**सारणी संख्या – 06**

**घरेलू कार्यों में पारिवारिक सदस्यों की भागीदारी**

| मतभार | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| सदैव | 27 | 67.5 |
| कभी–कभी | 11 | 27.5 |
| कभी नहीं | 02 | 5.00 |
| **योग** | **40** | **100** |

सारणी संख्या 06 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 67.5 प्रतिशत सूचनादाता को गृहकार्यो में परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होता है। 27.5 प्रतिशत सूचनादाता को कभी सहयोग मिलता है कभी नहीं जबकि 5.00 प्रतिशत सूचनादाता को पारिवारिक सदस्यों से कभी भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि गृहकार्यों में परिवार वालों से सहयोग प्राप्त न होने वाली सूचनादाता का प्रतिशत बहुत कम है, परन्तु सूचनादाता का मानना है कि घरेलू कार्यों में पारिवारिक सदस्यों का थोड़ा सा सहयोग भी उनके लिए बहुत बड़ी राहत होती है। सारणी संख्या 05 व 06 के निष्कर्षों से अध्ययन की उपकल्पना ''परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के कारण कार्यरत महिलाओं को घरेलू महिलाओं की अपेक्षा अपने परिवार के सदस्यों से अधिक सहयोग एवं सम्मान प्राप्त होता है'' सही सिद्व होती है।

## निष्कर्ष एवं सुझाव

शोध पत्र के उद्देश्य एवं उपकल्पनाओं के सत्यापन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि परिवार की बढ़ती आवश्यकता के परिणामस्वरूप अधिकांश महिलाओं को नौकरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिससे परिवार को अर्थिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सके, परन्तु नौकरी करने के कारण उन्हें घर व कार्यस्थल दोनों से सम्बन्धित भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। दोहरी जिम्मेदारी व उत्तरदायित्वों को निभाने के कारण घरेलू कार्य व बच्चों की देखभाल भी प्रभावित होती है जिस कारण उनकी व्यक्तिगत समस्याएं बढ़ जाती हैं क्योंकि नौकरी करने के बाद भी महिलाओं की परम्परागत भूमिकाओं में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। फलस्वरूप कार्यरत महिलाओं को भूमिका द्वंद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यद्यपि कार्यरत महिलाओं को अपने पति तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उचित मान–सम्मान तथा घरेलू कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्राप्त होता है, परन्तु इसके पश्चात् भी घरेलू कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। अतः कहा जा सकता है कि आज भी महिलाओं की समस्याओं में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं आया है लेकिन वर्तमान में महिलाओं की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता है और पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त होने वाला सहयोग, सम्मान और प्यार ही वो प्रेरणा है जिसके आधार पर महिलाएं प्रत्येक समस्या का सामना बहुत ही सरलता से कर सकती हैं। कार्यरत महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सुझाव है–

1– महिलाओं को नौकरी का चुनाव करते समय सदैव ही अपनी रूचि एवं योग्यता के साथ ही पति तथा सास–ससुर की पसन्द तथा नापसन्द का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे भविष्य में नौकरी से सम्बन्धित तनाव का सामना न करना पड़े।

2– महिलाओं को ऐसी नौकरी को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें काम के घण्टे कम हो।

3– कार्यरत महिलाओं को अपनी सुरक्षा हेतु अपने अधिकारों तथा कानूनों की जानकारी होनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

4– महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षात्मक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत योजनाओं का विकास करने की दिशा में उचित प्रयास होने चाहिए।

5– कार्यरत होने के कारण महिलाएं परिवार तथा बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती हैं जिस कारण कभी–कभी बच्चे उदण्डी भी हो जाते है। अतः कार्यरत महिलाओं के परिवार के पुरूष सदस्यों को भी बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए।

6– कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक सदस्यों को कार्यरत महिलाओं के साथ यथा सम्भव सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे महिलाओं पर कार्य का अतिरिक्त बोझ न पड़े।

## सन्दर्भ

1. पाराशर, चिरंजीलाल. (1961). ''नारी और समाज'', रमेश पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद, पृष्ठ **201–202.**
2. Desai, Neera. (1957). "Women in Modern India", Vora and Co., Publishers Pvt. Ltd. Pg. **253.**

3. Ross, Aileen D. (1961). "The Hindu Family in its Urban setting", University of Toronto Press, Pg. **198.**
4. Kapadia, K. M. (1959). "The Family in Transition",Sociological Bulatin, Vol.8 No.2 Sep. Pg. **99.**
5. Dube, S. C. (1963). "Mens and Women's Role in India",Berbara E. Ward(ed) Women's in new Asia, UNESCO, Paris, Pg. **202.**
6. Melian, L. & Novin, A. (2002). "A review of self Determination Women", Remedial and special Education, Pg. **68-74.**
7. Desai, Neera. (1957). "Women in Modern India", Vora and co. publishers Pvt. Ltd. Pg. **254.**
8. Bled, Robert O. (1960). "The Marriage", The free Press, Glaxo Illinois, Pg. **189.**
9. राजवंशी, अंजुला. (2016). ''पब्लिक स्कूलों में कार्यरत महिलाओं की समस्याएं : मेरठ क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में '', शोध मंथन, अंक 7 न. 2, पृष्ठ **1–6.**
10. राकेश, वी.पी. एवं गुप्ता, विनीता. (2016). ''कामकाजी महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक सहभागिता'', शोध मंथन, अंक 7 न. 2.